...लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

...प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
23/20	212 RTA	बीलखेडा	छबडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कैलाशबाई	बनाम	मोहनलाल

वकील :- Akhlesh sharma Adv

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
9/6/20	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया, वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः ग्राम बीलखेडा की आराजी खाता संख्या 183 ख. नं 56 रकबा 15.10 बीघा भूमि में से प्रार्थीगण के हिस्सा 3/4 पर अप्रार्थीगणों को जवाब पेश होने तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त आराजी में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 7/7/20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)	
7/7/20	मोहिना ... आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक ...29/7/20... को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
10.1.24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में पंचायत उप चुनाव व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 1.3.24 को पेश हो। [signature] रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),
	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनाक 9.4.24 को पेश हो। [signature] रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),
9.4.24	पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 27.5.24 को पेश हो। [signature] रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),
27.5.24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनाक 9.7.24 को पेश हो। [signature] रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),
9.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकलाए फरीकेन उप०। जवाब पेश नहीं हुआ। समय चाहा है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27.8.24 को पेश हो। [signature]
27.8.24	पत्रावली पेश हुई वकलाए फरीकेन उप. जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते है पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8.10.24 को पेश हो। [signature]
8.10.24	पत्रावली पेश हुई वकलाए फरीकेन उप. व प्रार्थीगण हाजिर, अप्रार्थी गण के विरुद्ध वाद पत्र पेश किया गया। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी गण द्वारा खातेदारों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि खातेदारों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र 212 RTA पेश नहीं करना चाहिये था

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
जब तक पक्षकारान के मध्य भूमि का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक सह खातेदार के विरुद्ध दावा नहीं लाया जा सकता। क्योंकि प्रत्येक खसरा नम्बर पर प्रत्येक खातेदार का हिस्सा होता है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता की भूमि जमीन की भूमि किस खसरा न. कहा पर है ऐसी स्थिति में भूमि का आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।	